राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश

16 ए.पी.सेन रोड,मण्डी परिषद भवन, लखनऊ

जोड़ी जिम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक – एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FP-DHAP/176/2023–24 952-2 दिनांक: 8.05.2023

विषय – वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि आवंटन एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर संपादित की जानी वाली विभिन्न गतिविधियों यथा – विभिन्न कार्यशाला, गर्ल चाइल्ड डे का आयोजन, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का निरीक्षण आदि विभिन्न गतिविधियों के सम्पादन एवं कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु भारत सरकार के स्तर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में, भारत सरकार से अनुमोदित धनराशि तथा बजट उपयोगित किए जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जनपदों को प्रेषित किये जा रहे है। जो निम्नानुसार है –

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में ''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994'' पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जोकि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधित करते हुए इसका नाम ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी केन्द्र जहाँ गर्भधारण से पूर्व अथवा प्रसव पूर्व गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है, का पंजीकरण अनिवार्य है। किसी प्रकार से भी भ्रूण लिंग की जाँच कर उसका परिणाम बताना अथवा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन करना व करवाना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन से सम्बन्धित विज्ञापन भी पूर्णतया निषेध है। इस कानून की एक अहम बात यह भी है कि भ्रूण लिंग की जाँच करने वाले चिकित्सक तथा जाँच करवाने वाले व्यक्ति दोनो को कैद तथा जुर्माना हो सकता है।

प्रदेश में घटतें हुये बाल लिंगानुपात की रोकथाम हेतु ''डिक्वाय ऑपरेशन'' संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''**मुखबिर योजना**'' 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाये व ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में सलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरूद्व साक्ष्य एकत्रित करते हुये उनके विरूद्व मा0 न्यायालय में दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। ''**मुखबिर योजना**'' लागू होने के उपरान्त प्रदेश में अब तक कुल 13 सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' ही सम्पादित किये गये है। अतः बाल लिंगानुपात में कमी लाने हेतु जनपदों द्वारा अधिक से अधिक सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' किया जाना आवश्यक है।

''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' के प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 2013 को एक वेबसाइट www.pyaribitiya.in लांच की गयी। जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर पंजीकृत ईकाइयों का अनुश्रवण किया जाता है। दिनांक 12 नवम्बर, 2020 से पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पोर्टल www.pyaribitiya.in के माध्यम से इकाईयों के पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रकिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में आनलाईन प्रकिया के अन्तर्गत इकाईयों के पंजीयन हेतु प्राप्त 2040 आवेदनों का आनलाईन पोर्टल के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही आवश्यक है कि इकाईयो का पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रकिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये।

उत्तर प्रदेश में हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम से मार्च 2022 की निर्गत रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का जन्म के समय बाल लिंगानुपात 934 है जो कि NFHS-5 (2020-21) में प्रदर्शित उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 941 से 07 कम है जो कि चिंता का विषय है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बाल लिंग अनुपात में गिरावट परिलक्षित हुई है। जबकि 2001 में प्रदेश का बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 916 था, जो कि वर्ष 2011 में गिरकर 902 रह गया है। SRS 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्म पर बाल लिंगानुपात 880 है जो कि राष्ट्रीय स्तर से 19 कम है। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात की गिरावट 19 अंकों की दर्शायी गयी है तथा यह गिरावट प्रदेश के

अधिकतर जनपदों में है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात का मुख्य कारण आधुनिक निदान तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर उसके कन्या होने की दशा में उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराना है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' प्रख्यापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिला–मजिस्ट्रेट को जनपदीय समुचित प्राधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिला–मजिस्ट्रेट को तहसील स्तरीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन हेतु अनुमोदित धनराशि के आवंटित सीमा तक का व्यय नियमानुसार की जानी है। जनपद स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का मुख्य दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का दायित्व मण्डलीय अपर निदेशक– चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है।

वर्ष 2023–24 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सम्बंधी गतिविधियो के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में प्रदत दिशा निर्देशों का ही अनुपालन किया जाये।

जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय

- **मण्डलीय स्तरीय डाटा असिस्टेन्ट– (FMR-HSS.9.184.C.P001)** गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के मण्डल स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल हेतु 01 डाटा असिस्टेंन्ट का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में मण्डल **सहारनपुर** को छोड़कर समस्त 17 मण्डलीय जनपदों में एक–एक डेटा असिस्टेंट मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में तैनात है। भारत सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत डाटा असिस्टेंट हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्ययोजना में @ 27957/–रूपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। साथ ही **मण्डलीय जनपद– आगरा, अलीगढ़ एवं आजमगढ़, बॉदा, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद,** में मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत डेटा असिस्टेंट हेतु वर्ष 2023–24 में देय मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, पत्र के साथ संलग्न बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

- **जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर–(FMR- HSS.9.184.C.P002)** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु 01–01 जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में से 08 जनपदों–**औरैया,बदायू,फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद,मुरादाबाद,पीलीभीत,सुल्तानपुर,सम्भल,**को छोड़कर शेष 67 जनपदों में डेटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत हैं। जिसके 12 माह के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्ययोजना में @ 15513/–रूपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु वर्ष 2023–24 में देय मासिक मानदेय पर अधिकतम 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 13.36 प्रतिशत का ई0पी0एफ0, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये। जनपद **मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायू, पीलीभीत एवं फिरोजाबाद** के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर के पदों पर चयन तब तक नहीं किया जाए, जब तक इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्देश न प्रेषित किये जाएं। वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, पत्र के साथ संलग्न बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।
- **जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर–(FMR- HSS.9.184.C.P008)**प्रदेश के चयनित 24 जनपदों में जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर की पदस्थापना की गयी है। 03 जनपदों हापुड, वाराणसी एवं जौनपुर को छोडकर 21 जनपदों में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर कार्यरत है। जिनके मासिक मानदेय हेतु

रु0 26626/–प्रतिमाह की दर से धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। समस्त कार्यरत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर को भारत सरकार द्वारा परफारमेन्स के आधार पर वर्तमान देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत की गयी है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर हेतु मानदेय की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या–HSS.9.184.C.P008 के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है। वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, पत्र के साथ संलग्न बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

➢ **कन्टीजेन्सी धनराशि का प्राविधान –(RCH.2.19.PME.4)** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रत्येक जनपद एवं मण्डल स्तर हेतु रू0 10000 प्रतिवर्ष की दर से धनराशि कन्टीजेन्सी मद में स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यकालापो/मदों के लिये किया जा सकेगा।

➢ **मुखबीर योजना के अन्तर्गत पुरस्कार का प्राविधान (RCH.2.19.PME.3)** प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएव ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय से दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

उक्त योजना के संबंध में शासनादेश संख्याः–37/2017/383/पॉच–9–2017–9(37)/2017 दिनॉक 23 जून 2017 का संज्ञान लिया जाये एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थानुरुप तथा राज्य समुचित प्राधिकारी के स्तर से इस सम्बंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये डिक्वाय ऑपरेशन सम्पादित किये जाये तथा भुगतान हेतु प्रपत्र अग्रसारित किये जाये।

जनसमुदाय द्वारा सफल डिक्वॉय ऑपरेशन करवाने पर ''मुखबिर'' को रु0 60,000/– व ''मिथ्या ग्राहक'' को रु0 1,00,000/– एवं ''मिथ्या ग्राहक सहायक'' को रु0 40,000/– की धनराशि पुरस्कार के रूप में 03 किश्तों में दावा करने पर अनुमन्य की जायेगी।

नोट– मुखबीर योजना के तहत धनराशि का भुगतान जनपदों से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर राज्य स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।

➢ **मण्डल एवं जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों हेतु मोबिलिटी सपोर्ट –(FMR Code-RCH.2.19.PME.5)**

- मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के लिए **प्रत्येक मण्डल को रु0 25,000.00** की धनराशि एवं **प्रत्येक जनपद को रू0 50000.00** की धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड संख्या–RCH.2.19.PME.5** के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 से विनियमित सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रों का निरीक्षण मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाये।
- मण्डल स्तरीय निरीक्षण में मण्डलीय अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी का होना अनिवार्य है।
- जनपद स्तरीय निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक/जनपदीय नोडल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- निरीक्षण के समय यदि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र की समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के साथ–साथ ऐसे समस्त उपकरण जिनके द्वारा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन सम्भव है, को निरीक्षण के समय ही सील किया जाये। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के रूप

में अभिलेखों को मूल रूप में जब्त भी किया जाए इस हेतु पृथक से सीलिंग/सीजर मैमो आवश्यक रूप से बनाया जाये।

- जब्त किए गए अभिलेखों/उपकरणों के साथ–साथ निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की मूल प्रति जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित केन्द्र की पत्रावली में सुरक्षित रखीं जायें।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में केन्द्र के पंजीकरण के निलम्बन/निरस्तीकरण के साथ–साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में परिवाद योजित किए जाने की कार्यवाही जनपदीय समुचित प्राधिकारी द्वारा अमल में लायी जायेगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि वे मूल निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग व सीजर मैमो के साथ–साथ समस्त साक्ष्य/अभिलेख जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
- निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की एक छायाप्रति मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी, (पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) के साथ–साथ अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ–226003 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
- निरीक्षण हेतु प्रारूप पूर्व में जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

अनुमोदित गतिविधियों के सापेक्ष दिए गए एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम0एस0 कोड पर आवंटित बजट का संलग्नित दिशा निर्देशों एवं जनपदवार फॉट में आवंटित सीमा तक धनराशि शासकीय एवं वित्तीय नियमानुसार उपयोगित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्नित दिशा निर्देशों के अनुसार, जनपद व ब्लाक स्तर पर गतिविधियों को सम्पादित कर भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति एफ0ए0एम0एस0 पर प्रत्येक माह ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः समस्त गतिविधिवार बजट फांट।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्रांक – एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FP-DHAP/176/2022–23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्य हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।

(डा0 रिंकू श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक,प0क0

DHAP Allocation FY 2023-24 PC-PNDT Program				
SL.No	District	Contingency for Division @ Rs.0.10 Lakh (In Rs.)	Contingency for District @ Rs.0.10 Lakh (In Rs.)	Contingency for Division & District PNDT Cell-Total Budget
		RCH.2.19.PME.4		
1	AGRA	1000	1000	2000
2	ALIGARH	1000	1000	2000
3	AMBEDKAR NAGAR		1000	1000
4	AMETHI		1000	1000
5	AURAIYA		1000	1000
6	AZAMGARH	1000	1000	2000
7	BAGHPAT		1000	1000
8	BAHRAICH		1000	1000
9	BALLIA		1000	1000
10	BALRAMPUR		1000	1000
11	BANDA	1000	1000	2000
12	BARABANKI		1000	1000
13	BAREILLY	1000	1000	2000
14	BASTI	1000	1000	2000
15	BIJNOR		1000	1000
16	Budaun		1000	1000
17	BULANDSHAHAR		1000	1000
18	CHANDAULI		1000	1000
19	CHITRAKOOT		1000	1000
20	DEORIA		1000	1000
21	ETAH		1000	1000
22	ETAWAH		1000	1000
23	AYODHYA	1000	1000	2000
24	FARRUKHABAD		1000	1000
25	FATEHPUR		1000	1000
26	FIROZABAD		1000	1000
27	GAUTAM BUDDH NAGAR		1000	1000
28	GHAZIABAD		1000	1000
29	GHAZIPUR		1000	1000
30	GONDA	1000	1000	2000
31	GORAKHPUR	1000	1000	2000
32	HAMIRPUR		1000	1000
33	HAPUR		1000	1000
34	HARDOI		1000	1000
35	HATHRAS		1000	1000
36	JALAUN		1000	1000
37	JAUNPUR		1000	1000
38	JHANSI	1000	1000	2000
39	JYOTIBA PHULE NAGAR		1000	1000
40	KANNAUJ		1000	1000
41	KANPUR DEHAT		1000	1000
42	KANPUR NAGAR	1000	1000	2000
43	KASGANJ		1000	1000

DHAP Allocation FY 2023-24 PC-PNDT Program				
SL.No	District	Contingency for Division @ Rs.0.10 Lakh (In Rs.)	Contingency for District @ Rs.0.10 Lakh (In Rs.)	Contingency for Division & District PNDT Cell- Total Budget
		RCH.2.19.PME.4		
44	KAUSHAMBI		1000	1000
45	LAKHIMPUR KHERI		1000	1000
46	KUSHINAGAR		1000	1000
47	LALITPUR		1000	1000
48	LUCKNOW	1000	1000	2000
49	MAHARAJGANJ		1000	1000
50	MAHOBA		1000	1000
51	MAINPURI		1000	1000
52	MATHURA		1000	1000
53	MAU		1000	1000
54	MEERUT	1000	1000	2000
55	MIRZAPUR	1000	1000	2000
56	MORADABAD	1000	1000	2000
57	MUZAFFARNAGAR		1000	1000
58	PILIBHIT		1000	1000
59	PRATAPGARH		1000	1000
60	PRAYAGRAJ	1000	1000	2000
61	RAEBARELI		1000	1000
62	RAMPUR		1000	1000
63	SAHARANPUR	1000	1000	2000
64	SAMBHAL		1000	1000
65	SANTKABIR NAGAR		1000	1000
66	SANT RAVIDAS NAGAR		1000	1000
67	SHAHJAHANPUR		1000	1000
68	SHAMLI		1000	1000
69	SHRAWASTI		1000	1000
70	SIDDHARTH NAGAR		1000	1000
71	SITAPUR		1000	1000
72	SONBHADRA		1000	1000
73	SULTANPUR		1000	1000
74	UNNAO		1000	1000
75	VARANASI	1000	1000	2000
Total		**18000**	**75000**	**93000**

DHAP Allocation FY 2023-24 PC-PNDT Program

Annexure-2

SL.No	District	Mobility cost for Division level Inspection team @ Rs.0.25 Lakh (In Rs.)	Mobility cost for District level Inspection team @ Rs.0.50 Lakh (In Rs.)	Total Budget- Mobility cost for District, Division level Inspection team
FMR Code-RCH.2.19.PME.5				
1	AGRA	2500	5000	7500
2	ALIGARH	2500	5000	7500
3	AMBEDKAR NAGAR	0	5000	5000
4	AMETHI	0	5000	5000
5	AURAIYA	0	5000	5000
6	AZAMGARH	2500	5000	7500
7	BAGHPAT	0	5000	5000
8	BAHRAICH	0	5000	5000
9	BALLIA	0	5000	5000
10	BALRAMPUR	0	5000	5000
11	BANDA	2500	5000	7500
12	BARABANKI	0	5000	5000
13	BAREILLY	2500	5000	7500
14	BASTI	2500	5000	7500
15	BIJNOR	0	5000	5000
16	Budaun	0	5000	5000
17	BULANDSHAHAR	0	5000	5000
18	CHANDAULI	0	5000	5000
19	CHITRAKOOT	0	5000	5000
20	DEORIA	0	5000	5000
21	ETAH	0	5000	5000
22	ETAWAH	0	5000	5000
23	AYODHYA	2500	5000	7500
24	FARRUKHABAD	0	5000	5000
25	FATEHPUR	0	5000	5000
26	FIROZABAD	0	5000	5000
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	0	5000	5000
28	GHAZIABAD	0	5000	5000
29	GHAZIPUR	0	5000	5000
30	GONDA	2500	5000	7500
31	GORAKHPUR	2500	5000	7500
32	HAMIRPUR	0	5000	5000
33	HAPUR	0	5000	5000
34	HARDOI	0	5000	5000
35	HATHRAS	0	5000	5000
36	JALAUN	0	5000	5000
37	JAUNPUR	0	5000	5000
38	JHANSI	2500	5000	7500
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	0	5000	5000
40	KANNAUJ	0	5000	5000
41	KANPUR DEHAT	0	5000	5000
42	KANPUR NAGAR	2500	5000	7500
43	KASGANJ	0	5000	5000

DHAP Allocation FY 2023-24 PC-PNDT Program

Annexure-2

SL.No	District	Mobility cost for Division level Inspection team @ Rs.0.25 Lakh (In Rs.)	Mobility cost for District level Inspection team @ Rs.0.50 Lakh (In Rs.)	Total Budget- Mobility cost for District, Division level Inspection team
FMR Code-RCH.2.19.PME.5				
44	KAUSHAMBI	0	5000	5000
45	LAKHIMPUR KHERI	0	5000	5000
46	KUSHINAGAR	0	5000	5000
47	LALITPUR	0	5000	5000
48	LUCKNOW	2500	5000	7500
49	MAHARAJGANJ	0	5000	5000
50	MAHOBA	0	5000	5000
51	MAINPURI	0	5000	5000
52	MATHURA	0	5000	5000
53	MAU	0	5000	5000
54	MEERUT	2500	5000	7500
55	MIRZAPUR	2500	5000	7500
56	MORADABAD	2500	5000	7500
57	MUZAFFARNAGAR	0	5000	5000
58	PILIBHIT	0	5000	5000
59	PRATAPGARH	0	5000	5000
60	PRAYAGRAJ	2500	5000	7500
61	RAEBARELI	0	5000	5000
62	RAMPUR	0	5000	5000
63	SAHARANPUR	2500	5000	7500
64	SAMBHAL	0	5000	5000
65	SANTKABIR NAGAR	0	5000	5000
66	SANT RAVIDAS NAGAR	0	5000	5000
67	SHAHJAHANPUR	0	5000	5000
68	SHAMLI	0	5000	5000
69	SHRAWASTI	0	5000	5000
70	SIDDHARTH NAGAR	0	5000	5000
71	SITAPUR	0	5000	5000
72	SONBHADRA	0	5000	5000
73	SULTANPUR	0	5000	5000
74	UNNAO	0	5000	5000
75	VARANASI	2500	5000	7500
Total		**45000**	**375000**	**420000**

DHAP Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2023-24

Sl No	Districts	No of Divisional Data Assistant position Sanction	No of Div.Level Data Assistant (in position)	Mode of Selection	Budget for 10 Months Honorarium @ Rs 27957/PM	Increment 5%	Honorarium @ Rs.29355/- after increment	Outsource agency Service Charge as per agreement (For Outsourced Staff) for example max upto 10% (Rs. in Lakhs)	GST (@ 18%)/ Service Tax (For Outsourced Staff)	Total Budget for 10 months
	FAMS/FMR Code	Old FMR-16.2.1.S01/New FMR-HSS.9.184.C.P001								
1	AGRA	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
2	ALIGARH	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
3	AMBEDKAR NAGAR				0			0	0	0
4	AMETHI				0			0	0	0
5	AURAIYA				0			0	0	0
6	AZAMGARH	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
7	BAGHPAT				0			0	0	0
8	BAHRAICH				0			0	0	0
9	BALLIA				0			0	0	0
10	BALRAMPUR				0			0	0	0
11	BANDA	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
12	BARABANKI				0			0	0	0
13	BAREILLY	1	1	DHS	279570	16774	296344	0	0	296344
14	BASTI	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
15	BIJNOR				0			0	0	0
16	Budaun				0			0	0	0
17	BULANDSHAHAR				0			0	0	0
18	CHANDAULI				0			0	0	0
19	CHITRAKOOT				0			0	0	0
20	DEORIA				0			0	0	0
21	ETAH				0			0	0	0
22	ETAWAH				0			0	0	0
23	AYODHYA	1	1	DHS	279570	16774	296344	0	0	296344
24	FARRUKHABAD				0			0	0	0
25	FATEHPUR				0			0	0	0
26	FIROZABAD				0			0	0	0
27	GAUTAM BUDDH NAGAR				0			0	0	0
28	GHAZIABAD				0			0	0	0
29	GHAZIPUR				0			0	0	0
30	GONDA	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
31	GORAKHPUR	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
32	HAMIRPUR				0			0	0	0
33	HAPUR				0			0	0	0
34	HARDOI				0			0	0	0
35	HATHRAS				0			0	0	0
36	JALAUN				0			0	0	0
37	JAUNPUR				0			0	0	0
38	JHANSI	1	1	DHS	279570	16774	296344	0	0	296344
39	JYOTIBA PHULE NAGAR				0			0	0	0
40	KANNAUJ				0			0	0	0
41	KANPUR DEHAT				0			0	0	0
42	KANPUR NAGAR	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
43	KASGANJ				0			0	0	0
44	KAUSHAMBI				0			0	0	0
45	LAKHIMPUR KHERI				0			0	0	0
46	KUSHINAGAR				0			0	0	0
47	LALITPUR				0			0	0	0
48	LUCKNOW	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
49	MAHARAJGANJ				0			0	0	0
50	MAHOBA				0			0	0	0
51	MAINPURI				0			0	0	0
52	MATHURA				0			0	0	0
53	MAU				0			0	0	0
54	MEERUT	1	1	DHS	279570	16774	296344	0	0	296344
55	MIRZAPUR	1	1	DHS	279570	16774	296344	0	0	296344
56	MORADABAD	1	1	Outsource	279570	16774	296344	29634	58676	384655
57	MUZAFFARNAGAR				0			0	0	0
58	PILIBHIT				0			0	0	0
59	PRATAPGARH				0			0	0	0
60	PRAYAGRAJ	1	1	DHS	279570	16774	296344	0	0	296344
61	RAEBARELI				0			0	0	0
62	RAMPUR				0			0	0	0
63	SAHARANPUR	1	0	Vacant	0		0	0	0	0
64	SAMBHAL				0			0	0	0
65	SANTKABIR NAGAR				0			0	0	0
66	SANT RAVIDAS NAGAR				0			0	0	0
67	SHAHJAHANPUR				0			0	0	0
68	SHAMLI				0			0	0	0
69	SHRAWASTI				0			0	0	0
70	SIDDHARTH NAGAR				0			0	0	0
71	SITAPUR				0			0	0	0
72	SONBHADRA				0			0	0	0
73	SULTANPUR				0			0	0	0
74	UNNAO				0			0	0	0
75	VARANASI	1	1	DHS	279570	16774	296344	0	0	296344
	Total Budget	**18**	**17**		**4752690**	**285158**	**5037848**	**296344**	**586761**	**5920953**

DHAP Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2023-24

Sl No	Districts	No of District.Level Data Entry Operator (In position)	Mode of Selection	Budget for 09 Month Honorarium @ Rs.15513/PM (In Rs)	5% Increment	Total Budget after Increment	Other Incentive/EPF (@ 13.36%) < 15000	For Outsource HR-ESI (@3.25%) =<21000	Outsource agency Service Charge as per agreement (For Outsourced Staff) for example max upto 10%	GST (@ 18%)/ Service Tax (For Outsourced Staff)	Total Budget for 09 months
	FAMS/FMR Code	Old FMR-16.2.1.S02/New FMR-HSS.9.184.C.P002									
1	AGRA	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
2	ALIGARH	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0		0	164634
3	AMBEDKAR NAGAR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0		0	164634
4	AMETHI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0		0	164634
5	AURAIYA	0	0	0		0		0	0	0	0
6	AZAMGARH	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
7	BAGHPAT	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
8	BAHRAICH	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
9	BALLIA	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
10	BALRAMPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
11	BANDA	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
12	BARABANKI	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
13	BAREILLY	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
14	BASTI	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
15	BIJNOR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
16	Budaun	0	0	0		0		0	0	0	0
17	BULANDSHAHAR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
18	CHANDAULI	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
19	CHITRAKOOT	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
20	DEORIA	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
21	ETAH	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
22	ETAWAH	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
23	AYODHYA	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
24	FARRUKHABAD	0	0	0		0		0	0	0	0
25	FATEHPUR	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
26	FIROZABAD	0	0	0		0		0	0	0	0
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
28	GHAZIABAD	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
29	GHAZIPUR	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
30	GONDA	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
31	GORAKHPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
32	HAMIRPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
33	HAPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
34	HARDOI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
35	HATHRAS	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
36	JALAUN	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
37	JAUNPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
38	JHANSI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
40	KANNAUJ	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
41	KANPUR DEHAT	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
42	KANPUR NAGAR	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
43	KASGANJ	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	29634	194268
44	KAUSHAMBI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	29634	194268
45	LAKHIMPUR KHERI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	29634	194268
46	KUSHINAGAR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	29634	194268
47	LALITPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	29634	194268
48	LUCKNOW	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
49	MAHARAJGANJ	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	29634	194268
50	MAHOBA	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	29634	194268
51	MAINPURI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
52	MATHURA	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
53	MAU	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
54	MEERUT	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
55	MIRZAPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
56	MORADABAD	0	0	0		0		0	0	0	0
57	MUZAFFARNAGAR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
58	PILIBHIT	0	0	0		0		0	0	0	0
59	PRATAPGARH	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
60	PRAYAGRAJ	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
61	RAEBARELI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
62	RAMPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
63	SAHARANPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
64	SAMBHAL	0	0	0		0		0	0	0	0

DHAP Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2023-24

Sl No	Districts	No of District.Level Data Entry Operator (In position)	Mode of Selection	Budget for 09 Month Honorarium @ Rs.15513/PM (In Rs)	5% Increment	Total Budget after Increment	Other Incentive/EPF (@ 13.36%) < 15000	For Outsource HR-ESI (@3.25%) =<21000	Outsource agency Service Charge as per agreement (For Outsourced Staff) for example max upto 10%	GST (@ 18%)/ Service Tax (For Outsourced Staff)	Total Budget for 09 months
	FAMS/FMR Code	Old FMR-16.2.1.S02/New FMR-HSS.9.184.C.P002									
65	SANTKABIR NAGAR	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
66	SANT RAVIDAS NAGAR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
67	SHAHJAHANPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
68	SHAMLI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
69	SHRAWASTI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
70	SIDDHARTH NAGAR	1	Outsources	139617	6981	146598	18036	4764	14660	33130	217188
71	SITAPUR	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
72	SONBHADRA	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
73	SULTANPUR	0	0	0		0		0	0	0	0
74	UNNAO	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
75	VARANASI	1	DHS	139617	6981	146598	18036	0	0	0	164634
	Total Budget	**67**		**9354339**	**467727**	**9822066**	**1208412**	**85752**	**263880**	**803787**	**12183897**

DHAP Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2023-24						
Sl No	Districts	NO District PC& PNDT Coordinator Position Sanction	No of District level PCPNDT Coordinator (In Position)	Budget for Honorarium for 12 Month @ Rs. 26626/PM	5% Increment	Honorarium @ 27957/PM after increment for 12 months
	FAMS/FMR Code	Old FMR-16.2.1.S08/New FMR-HSS.9.184.C.P008				
1	AGRA	1	1	319512	15976	335488
2	ALIGARH			0		0
3	AMBEDKAR NAGAR			0		0
4	AMETHI			0		0
5	AURAIYA			0		0
6	AZAMGARH			0		0
7	BAGHPAT	1	1	319512	15976	335488
8	BAHRAICH			0		0
9	BALLIA			0		0
10	BALRAMPUR			0		0
11	BANDA			0		0
12	BARABANKI			0		0
13	BAREILLY			0		0
14	BASTI			0		0
15	BIJNOR			0		0
16	Budaun			0		0
17	BULANDSHAHAR	1	1	319512	15976	335488
18	CHANDAULI	1	1	319512	15976	335488
19	CHITRAKOOT			0		0
20	DEORIA	1	1	319512	15976	335488
21	ETAH			0		0
22	ETAWAH			0		0
23	AYODHYA			0		0
24	FARRUKHABAD			0		0
25	FATEHPUR			0		0
26	FIROZABAD	1	1	319512	15976	335488
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	1	1	319512	15976	335488
28	GHAZIABAD	1	1	319512	15976	335488
29	GHAZIPUR	1	1	319512	15976	335488
30	GONDA			0		0
31	GORAKHPUR	1	1	319512	15976	335488
32	HAMIRPUR			0		0
33	HAPUR	1	0	0		0
34	HARDOI	1	1	319512	15976	335488
35	HATHRAS			0		0
36	JALAUN			0		0
37	JAUNPUR	1	0	0		0
38	JHANSI			0		0
39	JYOTIBA PHULE NAGAR			0		0
40	KANNAUJ			0		0
41	KANPUR DEHAT			0		0
42	KANPUR NAGAR			0		0
43	KASGANJ			0		0
44	KAUSHAMBI			0		0
45	LAKHIMPUR KHERI	1	1	319512	15976	335488
46	KUSHINAGAR	1	1	319512	15976	335488
47	LALITPUR			0		0
48	LUCKNOW	1	1	319512	15976	335488
49	MAHARAJGANJ	1	1	319512	15976	335488

DHAP Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2023-24						
Sl No	Districts	NO District PC& PNDT Coordinator Position Sanction	No of District level PCPNDT Coordinator (In Position)	Budget for Honorarium for 12 Month @ Rs. 26626/PM	5% Increment	Honorarium @ 27957/PM after increment for 12 months
	FAMS/FMR Code	**Old FMR-16.2.1.S08/New FMR-HSS.9.184.C.P008**				
50	MAHOBA			0		0
51	MAINPURI	1	1	319512	15976	335488
52	MATHURA	1	1	319512	15976	335488
53	MAU			0		0
54	MEERUT	1	1	319512	15976	335488
55	MIRZAPUR			0		0
56	MORADABAD			0		0
57	MUZAFFARNAGAR			0		0
58	PILIBHIT			0		0
59	PRATAPGARH			0		0
60	PRAYAGRAJ			0		0
61	RAEBARELI	1	1	319512	15976	335488
62	RAMPUR			0		0
63	SAHARANPUR			0		0
64	SAMBHAL			0		0
65	SANTKABIR NAGAR			0		0
66	SANT RAVIDAS NAGAR			0		0
67	SHAHJAHANPUR			0		0
68	SHAMLI			0		0
69	SHRAWASTI			0		0
70	SIDDHARTH NAGAR			0		0
71	SITAPUR	1	1	319512	15976	335488
72	SONBHADRA			0		0
73	SULTANPUR			0		0
74	UNNAO	1	1	319512	15976	335488
75	VARANASI	1	0	0		0
	Total Budget	**24**	**21**	**6709752**	**335496**	**7045248**

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश

16 ए.पी.सेन रोड,मण्डी परिषद भवन, लखनऊ

जोड़ी ज़िम्मेदार
जो प्लान करे परिवार

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक – एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FP-DHAP/176/2023–24 दिनांकः 8.05.2023

विषय – वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि आवंटन एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर संपादित की जानी वाली विभिन्न गतिविधियों यथा – विभिन्न कार्यशाला, गर्ल चाइल्ड डे का आयोजन, अल्ट्रासाउण्ड केंन्द्रों का निरीक्षण आदि विभिन्न गतिविधियें के सम्पादन एवं कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु भारत सरकार के स्तर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में, भारत सरकार से अनुमोदित धनराशि तथा बजट उपयोगित किए जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जनपदों को प्रेषित किये जा रहे है। जो निम्नानुसार है –

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में ''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994'' पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जोकि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधित करते हुए इसका नाम ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी केन्द्र जहाँ गर्भधारण से पूर्व अथवा प्रसव पूर्व गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है, का पंजीकरण अनिवार्य है। किसी प्रकार से भी भ्रूण लिंग की जाँच कर उसका परिणाम बताना अथवा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन करना व करवाना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन से सम्बन्धित विज्ञापन भी पूर्णतया निषेध है। इस कानून की एक अहम बात यह भी है कि भ्रूण लिंग की जाँच करने वाले चिकित्सक तथा जाँच करवाने वाले व्यक्ति दोनो को कैद तथा जुर्माना हो सकता है।

प्रदेश में घटतें हुये बाल लिंगानुपात की रोकथाम हेतु ''डिक्वाय ऑपरेशन'' संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''**मुखबिर योजना**'' 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाये व ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में सलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरूद्व साक्ष्य एकत्रित करते हुये उनके विरूद्व मा0 न्यायालय में दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। ''**मुखबिर योजना**'' लागू होने के उपरान्त प्रदेश में अब तक कुल 13 सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' ही सम्पादित किये गये है। अतः बाल लिंगानुपात में कमी लाने हेतु जनपदों द्वारा अधिक से अधिक सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' किया जाना आवश्यक है।

''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' के प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 2013 को एक वेबसाइट www.pyaribitiya.in लांच की गयी। जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर पंजीकृत ईकाइयों का अनुश्रवण किया जाता है। दिनांक 12 नवम्बर, 2020 से पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पोर्टल www.pyaribitiya.in के माध्यम से इकाईयों के पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रकिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में आनलाईन प्रकिया के अन्तर्गत इकाईयों के पंजीयन हेतु प्राप्त 2040 आवेदनों का आनलाईन पोर्टल के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही आवश्यक है कि इकाईयो का पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रकिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये।

उत्तर प्रदेश में हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम से मार्च 2022 की निर्गत रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का जन्म के समय बाल लिंगानुपात 934 है जो कि NFHS-5 (2020-21) में प्रदर्शित उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 941 से 07 कम है जो कि चिंता का विषय है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बाल लिंग अनुपात में गिरावट परिलक्षित हुई है। जबकि 2001 में प्रदेश का बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 916 था, जो कि वर्ष 2011 में गिरकर 902 रह गया है। SRS 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्म पर बाल लिंगानुपात 880 है जो कि राष्ट्रीय स्तर से 19 कम है। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात की गिरावट 19 अंकों की दर्शायी गयी है तथा यह गिरावट प्रदेश के

अधिकतर जनपदों में है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात का मुख्य कारण आधुनिक निदान तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर उसके कन्या होने की दशा में उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराना है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' प्रख्यापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिला–मजिस्ट्रेट को जनपदीय समुचित प्राधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिला–मजिस्ट्रेट को तहसील स्तरीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन हेतु अनुमोदित धनराशि के आवंटित सीमा तक का व्यय नियमानुसार की जानी है। जनपद स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का मुख्य दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का दायित्व मण्डलीय अपर निदेशक– चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है।

वर्ष 2023–24 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सम्बंधी गतिविधियो के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में प्रदत दिशा निर्देशों का ही अनुपालन किया जाये।

जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय

- **मण्डलीय स्तरीय डाटा असिस्टेन्ट– (FMR-HSS.9.184.C.P001)** गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के मण्डल स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल हेतु 01 डाटा असिस्टेंन्ट का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में मण्डल **सहारनपुर** को छोड़कर समस्त 17 मण्डलीय जनपदों में एक–एक डेटा असिस्टेंट मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में तैनात है। भारत सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत डाटा असिस्टेंट हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्ययोजना में @ 27957/–रूपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। साथ ही **मण्डलीय जनपद– आगरा, अलीगढ़ एवं आजमगढ़, बॉदा, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद,** में मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत डेटा असिस्टेंट हेतु वर्ष 2023–24 में देय मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, पत्र के साथ संलग्न बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

- **जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर–(FMR- HSS.9.184.C.P002)** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु 01–01 जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में से 08 जनपदों–**औरैया,बदायू,फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद,मुरादाबाद,पीलीभीत,सुल्तानपुर,सम्भल,**को छोड़कर शेष 67 जनपदों में डेटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत हैं। जिसके 12 माह के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्ययोजना में @ 15513/–रूपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु वर्ष 2023–24 में देय मासिक मानदेय पर अधिकतम 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 13.36 प्रतिशत का ई0पी0एफ0, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये। जनपद **मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायू, पीलीभीत एवं फिरोजाबाद** के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर के पदों पर चयन तब तक नहीं किया जाए, जब तक इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्देश न प्रेषित किये जाएं। वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, पत्र के साथ संलग्न बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

- **जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर–(FMR- HSS.9.184.C.P008)**प्रदेश के चयनित 24 जनपदों में जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर की पदस्थापना की गयी है। 03 जनपदों हापुड, वाराणसी एवं जौनपुर को छोडकर 21 जनपदों में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर कार्यरत है। जिनके मासिक मानदेय हेतु

रु0 26626/–प्रतिमाह की दर से धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। समस्त कार्यरत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर को भारत सरकार द्वारा परफारमेन्स के आधार पर वर्तमान देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत की गयी है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर हेतु मानदेय की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या–HSS.9.184.C.P008 के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है। वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, पत्र के साथ संलग्न बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

- **कन्टीजेन्सी धनराशि का प्राविधान –(RCH.2.19.PME.4)** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रत्येक जनपद एवं मण्डल स्तर हेतु रू0 10000 प्रतिवर्ष की दर से धनराशि कन्टीजेन्सी मद में स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यकालापो/मदों के लिये किया जा सकेगा।
- **मुखबीर योजना के अन्तर्गत पुरस्कार का प्राविधान (RCH.2.19.PME.3)** प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएव ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय से दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

  उक्त योजना के संबंध में शासनादेश संख्याः–37/2017/383/पॉच–9–2017–9(37)/2017 दिनॉक 23 जून 2017 का संज्ञान लिया जाये एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थानुरुप तथा राज्य समुचित प्राधिकारी के स्तर से इस सम्बंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये डिक्वाय ऑपरेशन सम्पादित किये जाये तथा भुगतान हेतु प्रपत्र अग्रसारित किये जाये।

  जनसमुदाय द्वारा सफल डिक्वॉय ऑपरेशन करवाने पर ''मुखबिर'' को रु0 60,000/– व ''मिथ्या ग्राहक'' को रु0 1,00,000/– एवं ''मिथ्या ग्राहक सहायक'' को रु0 40,000/– की धनराशि पुरस्कार के रूप में 03 किश्तों में दावा करने पर अनुमन्य की जायेगी।

  नोट– मुखबीर योजना के तहत धनराशि का भुगतान जनपदों से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर राज्य स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।

- **मण्डल एवं जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों हेतु मोबिलिटी सपोर्ट –(FMR Code-RCH.2.19.PME.5)**

- मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के लिए **प्रत्येक मण्डल को रु0 25,000.00** की धनराशि एवं **प्रत्येक जनपद को रू0 50000.00** की धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड संख्या–RCH.2.19.PME.5** के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 से विनियमित सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रों का निरीक्षण मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाये।
- मण्डल स्तरीय निरीक्षण में मण्डलीय अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी का होना अनिवार्य है।
- जनपद स्तरीय निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक/जनपदीय नोडल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- निरीक्षण के समय यदि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र की समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के साथ–साथ ऐसे समस्त उपकरण जिनके द्वारा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन सम्भव है, को निरीक्षण के समय ही सील किया जाये। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के रूप

में अभिलेखों को मूल रूप में जब्त भी किया जाए इस हेतु पृथक से सीलिंग/सीजर मैमो आवश्यक रूप से बनाया जाये।

- जब्त किए गए अभिलेखों/उपकरणों के साथ–साथ निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की मूल प्रति जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित केन्द्र की पत्रावली में सुरक्षित रखीं जायें।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में केन्द्र के पंजीकरण के निलम्बन/निरस्तीकरण के साथ–साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में परिवाद योजित किए जाने की कार्यवाही जनपदीय समुचित प्राधिकारी द्वारा अमल में लायी जायेगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि वे मूल निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग व सीजर मैमो के साथ–साथ समस्त साक्ष्य/अभिलेख जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
- निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की एक छायाप्रति मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी, (पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) के साथ–साथ अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ–226003 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
- निरीक्षण हेतु प्रारूप पूर्व में जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

अनुमोदित गतिविधियों के सापेक्ष दिए गए एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम0एस0 कोड पर आवंटित बजट का संलग्नित दिशा निर्देशों एवं जनपदवार फॉट में आवंटित सीमा तक धनराशि शासकीय एवं वित्तीय नियमानुसार उपयोगित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्नित दिशा निर्देशों के अनुसार, जनपद व ब्लाक स्तर पर गतिविधियों को सम्पादित कर भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति एफ0ए0एम0एस0 पर प्रत्येक माह ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः समस्त गतिविधिवार बजट फांट।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्रांक – एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FP-DHAP/176/2022–23 952-267
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्य हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।

(डा0 रिंकू श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक,प0क0